FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0167 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 01/07/2025 12:49 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 11/05/2025 Date To (दिनांक तक): 12/05/2025
      Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 11:15 बजे Time To (समय तक): 12:15 बजे

   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 01/07/2025 Time (समय): 11:00 बजे

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 01/07/2025 12:49:28 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 65 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

      (b) Address(पता): TEHASIL KARYALYA NOKHA, JILA BIKANER

      (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

      Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
   (a) Name(नाम): RAJKUMAR
   (b) Father's Name (पिता का नाम): RAMESHWARLAL
   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1997 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA
   (e) UID No(यूआईडी सं.):
   (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) Occupation (व्यवसाय):
   (i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GOAN SOMALSAR, NOKHA, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GOAN SOMALSAR, NOKHA, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA

   (j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAKESH GODARA		पिता:SAGARMAL GODARA	1. SURATSINGHPURA,POST KUCHOR AATOONEE,BIKANER,RAJAST

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		3,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 3,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 11.05.2025 को परिवादी श्री राजकुमार ने ब्यूरो चौकी एसयू बीकानेर में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की कि सेवामें, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसयू), बीकानेर विषयः- भ्रष्ट पटवारी सोमलसर राकेश गोदारा को पकड़वाने। महोदय, उपरोक्त विषय अन्तर्गत निवेदन है कि मुझ प्रार्थी राजकुमार पुत्र श्री रामेश्वरलाल सारण निवासी सोमलसर जिला बीकानेर कि अर्ज इस प्रकार है कि मेरी माताजी श्रीमती सन्तोष पत्नी श्री रामेश्वरलाल व सुक्री पत्नी श्री जगदीशप्रसाद नोखा के नाम खरीदी गई जमीन रोही सोमलसर में स्थित है। मेरी माताजी व सुक्री के नाम खरीदी गई जमीन 2.5 बीघा का इन्तकाल चढाने हेतु हमारे गांव का हल्का पटवारी राकेश गोदारा से मिलकर जमीन से सम्बन्धित कागजात इत्यादि गांव में लगा कैम्प में पेश किया। तत्पश्चात् मेरा काम नहीं होने पर मैं पटवारी राकेश से नोखा में मिला था तो पटवारी ने कहा कुछ खर्चा पानी देना पड़ेगा। तब आपका काम होगा। तब मैंने पूछा कितना खर्चा पानी देना पड़ेगा। तब उसने लिखकर 20 हजार रूपये मोबाईल में टाईप करके मेरे को देने को कहा। मैं मेरे जायज काम के लिये पटवारी भ्रष्ट राकेश गोदारा को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। हमारी कोई पुरानी रंजिश है और न ही कोई पुराना लेनदेन है। मेरी माताजी सन्तोष व श्रीमती सुक्री पत्नी जगदीश प्रसाद द्वारा करवाई जा रही एसीबी मे कार्यवाही का अधिकार पत्र पृथक से पेश कर दूंगा। आज में साथ में नहीं लेकर आया हूं। रजिस्ट्री सम्बन्धित कागजात पेश कर रहा हूं। दिनांक 11.05.2025 एसडी राजकुमार प्रार्थी राजकुमार पुत्र श्री रामेश्वरलाल गांव सोमलसर मो. [redacted] रिपोर्ट के संबंध में वक्त 12.05 पीएम पर परिवादी श्री राजकुमार पुत्र श्री रामेश्वरलाल को आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग किये जाने के तथ्यों की सत्यापन कार्यवाही की प्रक्रिया से अवगत करवाया गया तो परिवादी श्री राजकुमार ने बताया कि पटवारी श्री राकेश गोदारा जो नोखा में रहता है। मैं आज उनको फोन कर लोकेशन का पता कर रिश्वत मांग का सत्यापन करवा सकता हूं। जिस पर परिवादी श्री राजकुमार से पटवारी राकेश गोदारा को कॉल करवाया गया तो पटवारी राकेश गोदारा नोखा में होना नहीं बताया और परिवादी ने अपने काम के बारे में बात की तो पटवारी बोला कल दिनांक 12.05.2025 (सोमवार) को ऑनलाईन कर दूगां। जिस पर श्री जमील अहमद कानि. 147 का परिवादी से आपसी परिचय करवाया गया तथा श्री जमील अहमद से कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर व नया मैमोरी मंगवाया जाकर परिवादी श्री राजकुमार व श्री जमील अहमद कानि. को वार्ता रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया समझाई गई। तत्पश्चात् वक्त 12.20 पीएम पर परिवादी श्री राजकुमार पुत्र श्री रामेश्वरलाल की रिपोर्ट पर सत्यापन कार्यवाही हेतु फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया मैमोरी कार्ड बसिलसिले वक्त रिश्वत मांग गोपनीय सत्यापन कार्यवाही विरूद्ध श्री राकेश गोदारा राजस्व पटवारी, पटवारी हल्का सोमलसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर की पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल कागजात किये गये । वक्त 12.40 पीएम पर परिवादी श्री राजकुमार को बताया कि श्री जमील अहमद कानि. आप से कल दिनांक 12.05.2025 (सोमवार) को कस्बा नोखा में उपस्थित मिल जायेगा। आप आरोपी पटवारी राकेश गोदारा से मिलकर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाई जावें। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की आवश्यक मुनासिब हिदायत देकर रूकसत किया गया। दिनांक 12.05.2025 को वक्त 8.00 एएम पर श्री जमील अहमद कानि. 147 को परिवादी श्री राजकुमार से सम्पर्क कर आरोपी पटवारी राकेश गोदारा का रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु कस्बा नोखा को रवाना किया गया। वक्त 3.00 पीएम पर श्री जमील अहमद कानि. 147 गोपनीय सत्यापन कार्यवाही में रवाना शुदा उपस्थित आया। श्री जमील अहमद कानि. ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं वक्त 8.00 एएम पर कार्यालय हाजा से रवाना होकर कस्बा नोखा वक्त 10.00 एएम पर पहुंच कर परिवादी श्री राजकुमार से सम्पर्क किया। कुछ ही देर में वक्त 11.00 एएम पर परिवादी मेरे पास उपस्थित आया। तत्पश्चात् मैंने परिवादी के सामने वक्त 11.10 एएम पर नया मैमोरी कार्ड डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में स्थापित कर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी के बताये अनुसार आरोपी पटवारी राकेश गोदारा का धर्मशाला में निजी कमरा से कुछ पहले मैंने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर परिवादी श्री राजकुमार को चालू कर सुपुर्द कर आरोपी पटवारी से वार्ता करने हेतु भेजा था। परिवादी श्री राजकुमार वक्त 12.05 पीएम पर गोपनीय स्थान पर मेरे पास वापिस आया, जिससे मैंने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि मेरी पटवारी राकेश गोदारा से मेरे काम के संबंध में वार्ता हुई तो मेरे से उन्होंने 3000 हजार रूपये की मांग की है इनको देने को कहा है। (जिस पर परिवादी से पूछा तो परिवादी ने बताया कि पटवारी

राकेश गोदारा के पास एक व्यक्ति बैठा था, जिनको लाकर देने का ईशारा किया था) उक्त वार्ता को मैं डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके लाया हूं। परिवादी ने बताया कि मुझे आवश्यक काम है, मै कल सुबह आपके ऑफिस में आ जाउंगा। जिस पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू करके सुना गया तो वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई तथा रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी के प्रार्थना पत्र के क्रम में आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग किये जाने की पुष्टि हुई। उक्त वार्ता डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपने पास सुरक्षित रखा। वक्त 5.49 पीएम मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री राजकुमार से जरिये दूरभाष वार्ता कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाने हेतु उपस्थित आने व आरोपी द्वारा मांगी गई 3000 रूपये रिश्वति राशि की व्यवस्था कर कल दिनांक 13.05.2025 को वक्त 7.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु आवश्यक हिदायत दी गई जिस पर परिवादी ने बताया कि मैं कल सुबह 7.00 एएम पर आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर के नाम तहरीर मुर्तिब कर श्री योगेन्द्रसिंह कानिस्टेबल 482 को गवाह तलबी हेतु रवाना किया। श्री योगेन्द्रसिंह कानिस्टेबल मय गवाहान श्री मनीष कुमार वरिष्ठ सहायक व श्री सुरेन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर से उपस्थित आये। दोनो कार्मिकों को दिनांक 13.05.2025 को वक्त 7.15 ए.एम पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर रूखस्त किया गया। दिनांक 13.05.2025 को वक्त 7.30 ए.एम पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री मनीष कुमार वरिष्ठ सहायक व श्री सुरेन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर से उपस्थित आये। दोनो कार्मिको को परिवादी श्री राजकुमार पुत्र श्री रामेश्वरलाल द्वारा ब्यूरो में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों व सत्यापन कार्यवाही के तथ्यों से अवगत करवाया जाकर ब्यूरो की कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही जाने पर श्री मनीष कुमार व श्री सुरेन्द्र कुमार ने अपनी-अपनी सहमति दी। दोनों स्वतंत्र गवाहान को आवश्यक निर्देश देकर कार्यालय में मुकिम रखा। वक्त 10.55 ए.एम परिवादी श्री राजकुमार पुत्र श्री रामेश्वरलाल रिश्वत में दी जाने वाली राशि 3000/- रूपये की व्यवस्था करके उपस्थित आया। परिवादी श्री राजकुमार पुत्र श्री रामेश्वरलाल का कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर से स्वतंत्र गवाह श्री मनीष कुमार व श्री सुरेन्द्र कुमार से आपसी परिचय करवाया गया। इस दौरान कार्यवाही हेतु एक प्राइवेट वाहन तलब किया गया। वक्त 11.00 ए.एम परिवादी श्री राजकुमार पुत्र श्री रामेश्वरलाल द्वारा आरोपी पटवारी श्री राकेश गोदारा से नोखा में रूबरू होकर की गई वार्ता दिनांक 12.05.2025 को परिवादी द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी। रिकॉर्ड वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्युटर में कनेक्ट कर परिवादी श्री राजकुमार व रूबरू उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान श्री सुरेन्द्र कुमार, मनीष कुमार व श्री जमील अहमद कानि. 147 की मौजूदगी में रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया। रिकार्ड वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी राजकुमार ने एक आवाज स्वयं की, एक आवाज श्री जमील अहमद कानि. की तथा एक आवाज आरोपी पटवारी श्री राकेश गोदारा की होना पहचान किया। रिकॉर्ड वार्ता कुल 27 मिनट 37 सैकण्ड की है, जिसकी हैश वैल्यू सॉफ्टवेयर के माध्यम से निकाली गई, जो निम्न प्रकार से है:- फाईल नाम हैश वैल्यू कैलकूलेटर नाम हैश वैल्यू 250512_1116 MD5 34fc4a900d1fb45694c796b04a7d3f44 रिकार्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर डिजीटल टेप रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता की कार्यालय कम्प्युटर से दो पैन ड्राईव श्री जमील अहमद कानि. 147 से तैयार करवाई जाकर एक पैन ड्राईव को एक सफेद कपड़े की थैली में सीलमोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये, एक पैन ड्राईव को अन्वेषण प्रयोजनार्थ खुला रखा गया। मूल मैमोरी कार्ड को अग्रिम कार्यवाही के प्रयोजनार्थ हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में स्थापित रहने दिया। वक्त 12.40 पीएम परिवादी श्री राजकुमार पुत्र श्री रामेश्वरलाल ने रूबरू गवाहान के कार्यवाही हेतु रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के 06 नोट कुल 3000/- रूपये भारतीय मुद्रा के निम्न वर्णन के प्रस्तुत किए- क्र. सं. नोट का विवरण नम्बर नोट 1. एक 500 सौ रूपये का नोट 8QC 590618 2. एक 500 सौ रूपये का नोट 2QS 654116 3. एक 500 सौ रूपये का नोट 8EH 223631 4. एक 500 सौ रूपये का नोट 5AF 265071 5. एक 500 सौ रूपये का नोट 6QA 807823 6. एक 500 सौ रूपये का नोट 2NU 745841 श्रीमती बिमला मकानि. 229 से फिनोल्फथलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर उक्त सभी नोट एक अखबार के कागज पर रखवाकर उक्त श्रीमती बिमला मकानि. से सभी नोटों पर फिनोल्फथलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री राजकुमार की जामा तलाशी गवाह श्री सुरेन्द्र कुमार से लिवाई जाकर परिवादी के पास मोबाईल व पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया व उक्त पाउडर युक्त नोट 3000/- रूपये परिवादी के पहनी हुई जिन्स पेन्ट की सामने की बांयी जेब में श्रीमती बिमला मकानि. से रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपित से मिलने पर रिश्वती लेनदेन के दौरान एवं रिश्वती लेन-देन हो जाने के बाद आरोपित से हाथ नहीं मिलावें, रिश्वती राशि आरोपित द्वारा मांगे जाने पर उसे देवे, लेन-देन से पूर्व रिश्वती राशि को नहीं छुए, आरोपित रिश्वती राशि प्राप्त करके कहां रखता है उसका ध्यान रखे एवं रिश्वती राशि देने के बाद ट्रेप पार्टी सदस्यों को देखते हुवे अपने सिर पर दोनो हाथों को फेरकर ईशारा करें तथा यदि ईशारा करना सम्भव न हो तो अपने मोबाईल से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल करके ईशारा करे। तत्पश्चात एक साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार किया गया जो रंगहीन रहा। रंगहीन घोल के गिलास में श्रीमती बिमला मकानि. के हाथों की अंगुलियों

व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी व गवाहान को दृष्टांत कार्यवाही करके दिखाई गई एवं सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोल्फ्थलीन पाउडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया एवं उसका महत्व भी गवाहान व परिवादी को समझाया गया। तत्पश्चात् फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी को श्रीमती बिमला मकानि. से सुरक्षित मालखाना रखवाया गया। जिस अखबार के कागज पर रखकर उक्त नोटों पर फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसे जलवाकर नष्ट करवाया गया। उक्त रसायनिक घोल को बाहर फिंकवाया जाकर उक्त गिलास को जलवाकर नष्ट किया गया। श्रीमती बिमला मकानि. के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्रीमती बिमला मकानि. को कार्यालय में ही रूकने की हिदायत कर कार्यालय में छोड़ा गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल नम्बर परिवादी को मोबाईल में दर्ज करवाये गये। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टांत कार्यवाही मुर्तिब की जाकर सभी संबंधित के हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् वक्त 1.00 पीएम मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वंतत्र गवाह श्री सुरेन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक, श्री मनीष कुमार वरिष्ठ सहायक, परिवादी श्री राजकुमार ब्यूरो स्टॉफ श्री राजेन्द्र कुमार हैड कानि. 01, श्री जमील अहमद कानि. 147, श्री दिलीप यादव कानि. 71, श्री योगेन्द्रसिंह कानि. 482, श्री कन्हैयालाल कानि. 312 एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर से तलबशुदा श्री बजरंग सिंह सहायक उप निरीक्षक, श्री अनिल कुमार कानिस्टेबल मय विडियो कैमरा, ट्रेप कार्यवाही में पूर्व से प्रयुक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मैमोरी कार्ड, लैपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स जरिये सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री गजेन्द्रसिंह नम्बर 634 व निजी वाहन इनोवा मय चालक के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना कस्बा नोखा को हुआ। वक्त 1.50 पीएम मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा कस्बा नोखा पहुंचा। आरोपी की उपस्थिति का मालूमात करने के लिए वक्त 1.52 पीएम पर परिवादी श्री राजकुमार के मोबाईल नम्बर [redacted] व आरोपी श्री राकेश गोदारा पटवारी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल करवाकर जाकर उक्त वार्ता को मोबाईल का स्पीकर ऑन करके ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करवाई तो आरोपी पटवारी श्री राकेश गोदारा ने बताया कि मैं अभी हूं कोनी परसों मिल सा बीकानेर आया हुआ हूं। उक्त वार्ता ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होना पाई गई। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा आरोपी श्री राकेश गोदारा पटवारी से पुनः कॉल करवाया गया तो कॉल का कोई जबाव नहीं दिया। उक्त रिकॉर्ड वार्ताओं की 02 ऑडियो क्लिप जिसमें वार्ता रिकॉर्ड है तथा शेष 05 ऑडियो क्लिप में केवल घंटी बजने की आवाज है, जो ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है। दिनांक 13.05.2025 को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही संभव नहीं होने के कारण परिवादी श्री राजकुमार के पास रिश्वति राशि 3000/रूपये जिन पर पाउडर लगा हुआ होने के कारण एक सफेद कागज में लपेटकर श्री कन्हैयालाल कानि. के पास सुरक्षित रखवाया गया तथा परिवादी को उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाने हेतु उपस्थिति चाहने पर परिवादी ने बताया कि मेरे घर पर जरूरी कार्य है, इसलिए आज मैं बीकानेर नहीं जा सकता। जिस पर परिवादी को आरोपी पटवारी श्री राकेश गोदारा से सम्पर्क होने से पूर्व मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाने एवं कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रूकस्त किया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के रवाना शुदा बीकानेर पहुंचा। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में ली जा रही रिश्वति राशि 3000 रूपये (जिन पर पाउडर लगा हुआ है) श्री कन्हैयालाल कानि. 312 से मालखाना प्रभारी श्री अशोक कुमार सहायक उप निरीक्षक को सुपुर्द किया जाकर सुरक्षित मालखाना में रखवाया गया। रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा परिवादी श्री राजकुमार के उपस्थित आने पर रूबरू गवाहान के समक्ष तैयार की जावेगी। स्वंतत्र गवाहान को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया गया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मैमोरी कार्ड को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा। आईन्दा परिवादी को कॉल आने या उपस्थित आने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। वक्त 09.45 पीएम परिवादी श्री राजकुमार ने मोबाईल नंबर [redacted] से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नंबर [redacted] पर जरिए वाटसएप कॉल कर बताया कि अभी 09.38 पीएम पर पटवारी श्री राकेश गोदारा का मेरे मोबाईल पर उसके मोबाईल नंबर [redacted] से कॉल आई, पटवारीजी ने मुझे अभी रात्री को अपने कमरे पर बुलाया है, जिस पर मैंने पटवारीजी को कहा कि मैं अभी बहन के पास नाल आ गया हूं, जिस पर पटवारीजी ने मुझे कहा कि आप घूमते रहो। उक्त वार्ताएं मैंने मोबाईल में रिकॉर्ड की हैं। अब रात्री को मैंने पटवारीजी को नाल आना बता दिया है। कल दिन में मेरे से कोई वार्ता होगी तो मैं तुरन्त आपको अवगत करवा दूंगा। इस पर परिवादी को हिदायत की गई, जैसे ही वार्ता हो अविलम्ब अवगत करवा देना ताकि ट्रेप पार्टी समय पर आपके पास आ सके। दिनांक 16.05.202 वक्त 10.55 एएम परिवादी श्री राजकुमार ने वक्त 10.53 एएम पर मोबाईल नंबर [redacted] से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नंबर [redacted] पर जरिए वाटसएप कॉल कर बताया कि अभी कुछ देर पहले पटवारी श्री राकेश गोदारा का मेरे मोबाईल पर उसके मोबाईल नंबर [redacted] से कॉल आई, पटवारीजी ने मुझे अभी घंटे डेढ घंटे में अपने रूम पर बुलाया है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यवाही में शामिल गवाहान को जरिए दूरभाष तलब करने पर गवाह श्री मनीष कुमार अवकाश पर होना मालूम हुआ तथा श्री सुरेन्द्र कुमार को अविलम्ब तलब किया गया तथा संभागीय मुख्य वन संरक्षक मुख्यालय बीकानेर के

नाम तहरीर तैयार कर श्री जमील अहमद कानिस्टेबल के जरिए अन्य गवाह की तलबी की गई। इसी दौरान कार्यवाही हेतु एक प्राईवेट वाहन तलब किया गया। वक्त 11.15 एएम श्री जमील अहमद कानिस्टेबल मय कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक बीकानेर से गवाह श्री सुरेन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक व श्री नत्थू खां तकनीशियन ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। श्री सुरेन्द्र कुमार पूर्व से ब्यूरो की कार्यवाही में शरीक है तथा श्री नत्थू खां को कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही जाने पर अपनी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात श्री नत्थू खां को कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह शामिल किया गया व अब तक की कार्यवाही, परिवादी श्री राजकुमार की रिपोर्ट के तथ्यों से अवगत करवाया गया। वक्त 11.25 एएम श्री गिरधारीलाल कानिस्टेबल नंबर 63 से कार्यवाही से संबंधित मालखाना में एक सफेद कागज में लपेटकर सुरक्षित रखवाई हुई रिश्वत राशि 3000/-रूपये निकलवाये गये। तत्पश्चात पूर्व में तैयार शुदा फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी नोट दिनांक 13.05.2025 में अंकित नोटों के नंबरों का मिलान श्री गिरधारीलाल कानिस्टेबल की सहायता से दोनों गवाहान से करवाया गया, तो नोटों के नंबर फर्द पेशकसी के अनुसार होना पाये गये। चूंकि परिवादी श्री राजकुमार से हुई दूरभाष वार्ता अनुसार श्री राजकुमार कस्बा नोखा में गोपनीय स्थान पर मिलना तय होने से उक्त पाउडर युक्त राशि श्री गिरधारीलाल कानिस्टेबल के पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी जेब में सफेद कागज में लिपटी हुई अवस्था में रखवाई गई। श्री गिरधारीलाल कानिस्टेबल व समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साफ साबुन पानी से धुलवाये गये। तत्पश्चात् वक्त 11.40 एएम मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाह, ब्यूरो स्टाफ के श्री राजेन्द्र कुमार हैड कानिस्टेबल, श्री कन्हैयालाल, श्री जमील अहमद, श्री दलीप, श्री योगेन्द्र सिंह, श्री गिरधारीलाल कानिस्टेबलगण एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर से तलबशुदा श्री बजरंग सिंह सहायक उप निरीक्षक, श्री अनिल कुमार कानिस्टेबल जरिए सरकारी वाहन व किराये का प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स, ट्रेप सामग्री मय कार्यवाही में पूर्व से प्रयुक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सहित कार्यवाही हेतु नोखा के लिए रवाना हुआ। वक्त 12.25 पीएम मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाह मय हमराही ब्यूरो स्टाफ जरिए सरकारी वाहन व किराये का प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स, ट्रेप सामग्री मय कार्यवाही में पूर्व से प्रयुक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सहित कस्बा नोखा के नजदीक पहुंचा, जहां पूर्व से वार्ता अनुसार परिवादी श्री राजकुमार अपनी निजी वाहन सहित उपस्थित मिला। परिवादी ने जाहिर किया कि पटवारीजी से मेरी पूर्व में हुई वार्ता अनुसार मैं उनकी मौजूदगी का मालूमात कर लेता हूं। इस पर परिवादी श्री राजकुमार के मोबाईल नंबर [redacted] से श्री राकेश गोदारा पटवारी के मोबाईल नंबर [redacted] पर मोबाईल का स्पीकर ऑन कर वार्ता करवाई गई, जिसे श्री जमील अहमद कानिस्टेबल की सहायता से वार्ता को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। वार्ता के अनुसार आरोपी पटवारी ने अपने कमरे पर होना बताया। डिवीआर में चालू रिकॉर्ड फाईल को पॉज किया गया। तत्पश्चात श्री गिरधारीलाल कानिस्टेबल के पास सुरक्षित रखवाई हुई रिश्वती राशि 3000/-रूपये सफेद कागज से निकलवाकर परिवादी श्री राजकुमार के पहनी जिंस पेंट की पीछे की दाहिनी जेब में रखवाई गई। कागज जिसमें रिश्वती राशि लपेटी हुई थी को श्री गिरधारीलाल कानिस्टेबल के जरिए जलवाकर नष्ट करवाया गया। श्री गिरधारीलाल कानिस्टेबल के हाथ साफ साबुन पानी से धुलवाये जाकर गोपनीय स्थान पर मुकीम रहने के निर्देश दिये गये। वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉयम रिकॉर्डर मय स्थापित मैमोरी कार्ड के सुपुर्द किया गया तथा परिवादी को हिदायत की गई कि डीवीआर में रिकॉर्डिंग पॉज स्थिति में है, आप आरोपी से वार्ता करने से पूर्व रिकॉर्डिंग को पुनः चालू कर आरोपी से सम्पर्क करना। वक्त 12.30 पीएम परिवादी श्री राजकुमार मय स्वतंत्र गवाह श्री सुरेन्द्र कुमार, श्री जमील अहमद कानिस्टेबल व श्री कन्हैयालाल कानिस्टेबल को परिवादी के निजी वाहन से रवाना कर पीछे पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के जरिए वाहनों के रवाना होकर वक्त 12.38 पीएम पर कस्बा नोखा में रेल्वे स्टेशन के सामने पहुंचा। परिवादी अपने वाहन को साईड में खड़ा कर रेल्वे स्टेशन के सामने स्थित धर्मशाला में आरोपी से सम्पर्क करने हेतु रवाना हुआ। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गवाहान व ब्यूरो स्टाफ के परिवादी के ईशारे के इंतजार में आस पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुए मुकीम हुए। वक्त 12.59 पीएम परिवादी श्री राजकुमार ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिए दूरभाष अवगत करवाया कि पटवारीजी अपने साथ तहसील कार्यालय में चलने की कह रहा है, जिसको मैंने कहा कि मेरे पास गाड़ी है। इसी दौरान परिवादी अपनी गाड़ी के पास जाते दिखाई दिया तथा गाड़ी में एक अन्य व्यक्ति भी आकर परिवादी के साथ बैठ गया। परिवादी की कार रेल्वे स्टेशन के सामने से रवाना होने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही ट्रेप पार्टी सदस्यों के साथ जरिए वाहनों से परिवादी की गाड़ी से कुछ दूरी बनाये रखते हुए रवाना हुआ। परिवादी की गाड़ी तहसील कार्यालय परिसर में प्रवेश हुई, जिसमें से परिवादी के साथ बैठा व्यक्ति उतरकर तहसील कार्यालय में रवाना हो गया। कुछ देर बाद परिवादी श्री राजकुमार ने जरिए दूरभाष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया कि आरोपी पटवारी ने रिश्वती राशि बेगाराम नामक व्यक्ति को देने के लिए कहा, बेगाराम मेरे गांव का होने से मैंने मना कर दिया, फिर पटवारीजी ने तहसील के नजदीक आकर धर्मशाला में मोटा आदमी बनियान पहना हुआ है उसको पैसे देने के लिए कहा है। चूंकि आरोपी पटवारी परिवादी से अलग हो चुका है तथा आरोपी के बताये अनुसार व्यक्ति की कोई विशिष्ठ पहचान नहीं हुई है एवं आरोपी भी रूपोश होने की स्थिति में है। इस कारण अन्य अस्पष्ट व्यक्ति को रिश्वती राशि नहीं देने की हिदायत कर परिवादी को कस्बा नोखा से बाहर उचित स्थान पर हमराही वाहनों के पीछे रवाना होने के निर्देश देकर तहसील कार्यालय नोखा के

पास से रवाना हुए। वक्त 01.20 पीएम मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो स्टाफ के रवाना शुदा कस्बा नोखा के पास उचित स्थान पर मुकीम हुआ, जहां परिवादी अपनी कार से उपस्थित आया। परिवादी से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने पुनः उपरोक्तानुसार तथ्य ही दोहराये तथा आरोपी से आज रिश्वत राशि लेन-देन की कोई संभावना होना नहीं बताया। परिवादी के अनुसार आरोपी उसकी कार से उतरकर तहसील परिसर में बिना कुछ बताये चला गया। चूंकि रिश्वत राशि लेन-देन की कोई संभावना प्रतीत नहीं होने से पाउडरयुक्त राशि श्री गिरधारीलाल कानिस्टेबल के जरिए परिवादी के पहनी जींस पेंट से निकलवाकर एक सफेद कागज में लपेटकर श्री गिरधारीलाल कानिस्टेबल के पास सुरक्षित रखवाई गई। परिवादी को हिदायत मुनासिब कर रूखस्त किया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी सहित जरिए वाहनों के नोखा से रवाना हुआ। वक्त 03.00 पीएम मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो स्टाफ के रवाना शुदा चौकी हाजा पहुंचा। श्री गिरधारीलाल कानिस्टेबल के पास सुरक्षित रखवाई गई रिश्वती राशि सुरक्षित मालखाना में रखवाई गई। दोनों स्वतंत्र गवाहान को आवश्यक हिदायत कर रूखस्त किया गया। दिनांक 20.05.2025 को वक्त 10.00 ए.एम पर परिवादी श्री राजकुमार पुत्र श्री रामेश्वरलाल उपस्थित कार्यालय आया है। दिनांक 13.05.2025 व दिनांक 16.05.2025 आरोपी पटवारी राकेश गोदारा के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया था, परन्तु ट्रेप कार्यवाही सफल नहीं हुई। जिनकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रूबरू स्वतंत्र गवाहान के समक्ष तैयार की जानी है। जिस पर स्वतंत्र गवाहान श्री मनीष कुमार वरिष्ठ सहायक, श्री सुरेन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक व श्री नत्थू खां तकनीशियन कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर से जरिये दूरभाष तलब किया गया है। वक्त 10.35 ए.एम पर श्री मनीष कुमार वरिष्ठ सहायक, श्री सुरेन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर से उपस्थित आये है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मैमोरी कार्ड को अलमारी से निकालकर कार्यालय कम्प्युटर पर कनेक्ट कर दिनांक 13.05.2025 को परिवादी श्री राजकुमार व आरोपी पटवारी श्री राकेश गोदारा के मध्य हुई मोबाईल फोन वार्ताओ को परिवादी श्री राजकुमार व रूबरू उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान श्री सुरेन्द्र कुमार, मनीष कुमार व श्री जमील अहमद कानि. 147 की मौजूदगी में रिकॉर्ड वार्ताओं को सुना गया। रिकार्ड वार्ताओं में आवाज की पहचान कर परिवादी राजकुमार ने एक आवाज स्वयं की, एक आवाज आरोपी पटवारी श्री राकेश गोदारा की होना पहचान किया। रिकॉर्ड वार्ता में कुल 07 ऑडियो क्लिपसे है, जिनमें 02 ऑडियो क्लिपस जिसमें वार्ता रिकॉर्ड है, शेष 05 ऑडियो क्लिपसे जिसमें घंटी जाने की आवाज है। उक्त वार्ताओ की हैश वैल्यू सॉफटवेयर के माध्यम से निकाली गई, जो निम्न प्रकार से है:- फाईल नाम हैश वैल्यू कैलकूलेटर नाम हैश वैल्यू 250513_1352 MD5 83107614d7c1d48d57c499f5d926ac27 250513_1353 MD5 b7337c750d306d97a472edc61340f2a0 250513_1354 MD5 ff1d474b64f5657d677997fac55d7512 250513_1407 MD5 0599e25817bc4ab5da172dfb0c139877 250513_1407_01 MD5 fe5b1c6725070aa9c07ecf87163fa9c3 250513_1408 MD5 344cd96640f4e6511468b3b8c923e8b3 250513_1416 MD5 a3046b4f19895127cc3bf59d1d9ef361 वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर डिजीटल टेप रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ताओं की कार्यालय कम्प्युटर से दो पैन ड्राईव श्री जमील अहमद कानि. 147 से तैयार करवाई जाकर एक पैन ड्राईव को एक सफेद कपड़े की थैली में सीलमोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये, एक पैन ड्राईव को अन्वेषण प्रयोजनार्थ खुला रखा गया। मूल मैमोरी कार्ड को अग्रिम कार्यवाही के प्रयोजनार्थ हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में स्थापित रहने दिया। वक्त 11.30 एएम तलब शुदा श्री नत्थू खां तकनीशियन कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर उपस्थित आया है। दिनांक 16.05.2025 को परिवादी श्री राजकुमार व आरोपी पटवारी श्री राकेश गोदारा के मध्य हुई वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट परिवादी श्री राजकुमार व रूबरू स्वतंत्र गवाहान श्री सुरेन्द्र कुमार, श्री नत्थू खां व श्री जमील अहमद कानि. 147 की मौजूदगी में रिकॉर्ड वार्ता को आगे चला-चला कर सुन-सुन कर रिकार्ड वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी राजकुमार ने एक आवाज स्वयं की, एक आवाज आरोपी पटवारी श्री राकेश गोदारा की होना पहचान किया। रिकॉर्ड वार्ता में कुल 45 मिनट 08 सैकण्ड की है। उक्त रिकॉर्ड वार्ता की दो पैन ड्राईव तैयार किया जाकर एक पैन ड्राईव को सील चिट किया गया तथा दुसरा पैन ड्राईव को खुला अवस्था में रखा गया। उक्त रिकॉर्ड वार्ता की हैश वैल्यू सॉफ्टवेयर के माध्यम से निकाली गई, जो निम्न प्रकार से है:- फाईल नाम हैश वैल्यू कैलकूलेटर नाम हैश वैल्यू 250516_1226 MD5 b112d86108c5568934256628e346c977 वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय स्थापित मैमोरी कार्ड को निकालकर उसके सेफ्टी कवर में डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलमोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। वक्त 3.15 पीएम परिवादी श्री राजकुमार स्वतंत्र गवाहान श्री सुरेन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक, श्री मनीष कुमार वरिष्ठ सहायक व श्री नत्थू खां तकनीशियन तृतीय को रूकसत किया गया तथा प्रकरण में सील शुदा वजह सबूत एक मूल मैमोरी कार्ड, तीन पैन ड्राईव शील्ड शुदा व तीन पैन ड्राईव खुली अवस्था में मालखाना प्रभारी को वास्ते जमा मालखाना कर इन्द्राज करने हेतु सुपुर्द किया गया। उक्त कार्यवाही में वजह सबूत को सीलमोहर करने मे प्रयुक्त पीतल की सील की फर्द नमूना सील तैयार की गई। परिवादी श्री राजकुमार के प्रार्थना पत्र पर रिश्वती राशि 3000/- रूपये उसे वापिस लौटाये गये। इस प्रकार उपरोक्त घटनाक्रम से पाया गया कि परिवादी श्री

राजकुमार पुत्र श्री रामेश्वरलाल जाति जाट उम्र 28 साल निवासी सोमलसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर की माता श्रीमती सन्तोष पत्नी श्री रामेश्वरलाल व परिचित श्रीमती सुक्री पत्नी श्री जगदीश प्रसाद निवासी नोखा के नाम खरीदी गई जमीन 2.5 बीघा का इन्तकाल चढाने की एवज में आरोपी श्री राकेश गोदारा राजस्व पटवारी पटवार हल्का सोमलसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर द्वारा परिवादी श्री राजकुमार से वक्त सत्यापन दिनांक 12.05.2025 को 3000 हजार रूपये रिश्वत की मांग करते हुए अपने पास खड़े व्यक्ति को 3000 हजार रूपये देने का कहने पर दिनांक 13.05.2025 व 16.05.2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। इस दौरान आरोपी पटवारी श्री राकेश गोदारा द्वारा रिश्वति राशि श्री बेगाराम नामक व्यक्ति को देना का कहा, श्री बेगाराम नामक व्यक्ति परिवादी श्री राजकुमार के गांव का होने से परिवादी ने इन्कार किया। इस पर आरोपी पटवारी द्वारा अन्य व्यक्ति जो मोटा सा है, बनियान पहने हुए है को देना का कहा। उक्त वार्ता तहसील परिसर नोखा में हुई। इस पर परिवादी ने बताया कि आरोपी पटवारी रिश्वति राशि स्वयं नहीं लेकर धर्मशाला में बैठे बनियान पहने हुए अन्य व्यक्ति को देना को कहा, जिस व्यक्ति का स्पष्ट नाम नही बताया है। इस कारण रिश्वति राशि का लेन-देन नही हो सका तथा परिवादी ने यह भी बताया है कि आरोपी पटवारी श्री राकेश गोदारा को ट्रेप कार्यवाही की भनक लग जाने के कारण अब पटवारी श्री राकेश गोदारा मेरे से रिश्वत राशि नही लेगा। इस कारण ट्रेप कार्यवाही सफल नहीं हो पाई। आरोपी पटवारी द्वारा रिश्वत की मांग की अनुसरण में रिश्वति राशि 3000 हजार रूपये अन्य व्यक्ति को देने का कह कर स्वंय के लिए मांग की गई। उक्त रिकॉर्ड वार्ता की पुष्टि ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता दिनांक 16.05.2025 से होती है। इस प्रकार रिकॉर्ड वार्ताओं के अनुसार आरोपी श्री राकेश गोदारा राजस्व पटवारी, पटवार हल्का सोमलसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर द्वारा अपने वैध पारिश्रमिक से भिन्न 3000 रूपये परिवादी से बतौर रिश्वत की मांग करने एवम् असम्यक लाभ अभिप्राप्त करने का प्रयास किया जाने का कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत घटित होना पाया जाता है। अतः लोकसेवक आरोपी राकेश गोदारा पुत्र श्री सागरमल गोदारा जाति जाट उम्र 29 वर्ष निवासी सुरतसिंहपुरा पोस्ट कुचोर आथूणी तहसील व जिला बीकानेर हाल राजस्व पटवारी, पटवार हल्का सोमलसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें वास्ते पंजीयन एवं क्रमांकन सादर प्रेषित है। (आशीष कुमार) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसयू) बीकानेर..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आशीष कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसयू) बीकानेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन वर्ष 2018) में आरोपी श्री राकेश गोदारा पुत्र श्री सागरमल गोदारा जाति जाट उम्र 29 वर्ष निवासी सुरतसिंहपुरा पोस्ट कुचोर आथूणी तहसील व जिला बीकानेर हाल राजस्व पटवारी, पटवार हल्का सोमलसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री आनंद मिश्रा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 03 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 956-59 दिनांक 01-07-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3-जिला कलक्टर, बीकानेर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, (एसयू) बीकानेर ।पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Anand Mishra **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 01/07/2025 12:[illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1996				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)